न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2922 / 2025
परिवाद संख्या–237सी. / 2022

1. पंचम सिंह पिता स्व0 हरवंश सिंह,
2. मंगल सिंह पिता स्व0 हरवंश सिंह,
3. सरोज कुमार उर्फ सिपू कुमार पिता रूपा सिंह,
4. बिट्टू कुमार उर्फ पंकज कुमार पिता रूपा सिंह
   साकिनान– दिलावरपुर, थाना–बिहटा,जिला–पटना।
5. राहूल कुमार पिता आनंद सिंह उर्फ बउआ नंद सिंह।
   साकिन–अमरपुरा, थाना–नौबतपुर,जिला–पटना।

------ अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से– श्री राजेश कुमार सिंह, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से – श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

06.03.2026 परिवाद संख्या–237सी. / 2022 धारा– 323,379,427,504 / 34 भा0द0वि0 से संबंधित है, के उपरोक्त याची अभियुक्तगण की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक / अभियुक्त सं0–1. व 2. बिहटा थाना कांड संख्या–818 / 2014, 1383 / 2022, 1143 / 2019, 818 / 2014, परिवाद सं0–985सी. / 2011, 600सी. / 2021, 643सी. / 2019, अमहारा थाना कांड संख्या–134 / 2025, आवेदक संख्या–3. बिहटा थाना कांड संख्या–818 / 2014, 1383 / 2022, इसीप्रकार आवेदक संख्या–4. परिवाद सं0–985 / 2011 व अमहारा थाना कांड संख्या–134 / 2025 में आरोपी हैं। आवेदक संख्या–5. के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक / अभियुक्तगण निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि प्रार्थी के चाचा नंदू सिंह ने मंगल सिंह से थाना सं0–46, खाता सं0–412 से एराजी 16.25 डिसमिल खरीद किये थे, उसी दिन से नंदू सिंह एवं उनके वंशज शांतिपूर्वक दखल–कब्जा में चले आ रहे थे, उक्त प्लॉट प्रार्थी के भाई से खानदानी बंटबारा में हिस्सा मिला है। दिनांक–25.02.2022 को समय करीब 6.00 बजे दिन में उक्त प्लॉट में लगे चना व राई का फसल आवेदक पंचम सिंह सरसो पेड़ काट रहे थे, तो प्रार्थी ने विरोध किया और झगड़ा करने पर

<u>लगातार</u>
06.03.2026

उतारू हो गये और अभियुक्तगण जान से मारने का धमकी देने लगे और हत्या कर देने का धमकी दिये। अभियोगी गाली–गलौज करने से मना किया तो अभियुक्त सं0–1. ने प्रार्थी को पटक दिया और पॉकेट से 5,000/–रू0 ले लिया। अभियुक्त सं0–2. ने प्रार्थी के घर से सुटकेश लेकर चले गये, जिसमें दस हजार रूपया, सोना की अंगूठी बगैरह था। अभियुक्त सं0–3.बैग जिसमें जरूरीयात कागजात था लेकर चले गये। अभियुक्त संख्या–4. ने पीतल का बर्तन लेकर जा रहे थे, तभी प्रार्थी ले जाने से मना किया तो अभियुक्त सं0–3. ने कनपट्टी पर देशी कट्टा तान दिये। प्रार्थी को शोर मचाने पर साक्षीगण आ गये तो प्रार्थी का जान बचा। बिहटा थाना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को लिखित आवेदन दिया, उसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ तो अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किये। अभियुक्तगण पर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण पर कई आपराधिक इतिहास है।

अवएव मामले के तथ्यों को देखते हुये उक्त अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, उनके तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।